पुनश्चः दिनांक 04.05.18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव।

अभियुक्तगण की ओर से निवेदन किया कि आज अभियुक्तगण जमानत नहीं ला पाए हैं इस कारण से उन्हें मुचलके पर छोडने का निवेदन किया है। विचार बाद निवेदन स्वीकार।

अभियुक्तगण की ओर से 10—10 हजार रूपये के बंधपत्र पेश, बाद तस्दीक स्वीकार किए गए।

फरियादी बबली भदौरिया सहित अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र पाण्डे उपस्थित। उसकी पहचान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र पाण्डे द्वारा की गयी।

फरियादी की ओर से प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूंछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री एच0के० कौशिक, एएसजे गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष आज ही कुछ समय पश्चात् मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 10.05.2018 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

## <u>पुनश्चः</u>

राज्य द्वारा ए डी पी ओ । अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव। फरियादी बबली सहित अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र पाण्डे। प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित ् प्रस्तुत।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320—2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र पाण्डे एव अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ–लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भा०द०वि० की धारा 294, 323 ,506 भाग—2 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमें से धारा 294, 506 बी न्यायालय की अनुमित से शमनीय है जबिक शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्ददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 एवं 506 भाग—2 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है। आगामी दिनांक निरस्त की गयी।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

